

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, चास(बोकारो)।

सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 46(1)(b) के अन्तर्गत

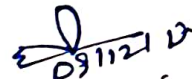
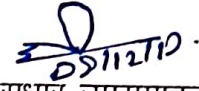
अभिलेख संख्या- 129/2017-18

—: आदेश :—

अनुसूची 14-फारम संख्या-560

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
9/12/17	अभिलेख उपस्थापित। विक्रेता श्रीमती आरती देवी पति-गोपाल बाउरी, जाति-बाउरी, ग्राम-चौरा बस्ती, थाना-पिण्ड्राजोरा, जिला-बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत मौजा-काण्ड्रा, थाना नं0-51 के खाता सं0-158, प्लॉट नं0-4837, 4841, 4839, रकवा 0.09 ½ एकड़ भूमि बिक्री करने हेतु समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में इस न्यायालय के पत्रांक 507/भू0सु0, दिनांक 23.09.2017 द्वारा अंचल अधिकारी, चास से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई तथा आम सूचना निर्गत किया गया है। जिसका तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। अंचल अधिकारी, चास के पत्रांक 1892 दिनांक 07.12.2017 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जो निम्नवत् है :- 1. बिक्री की जाने वाली भूमि रैयती खाते की है जिसका खतियान मनपुरन माहात के नाम से दर्ज है। 2. विक्रेता ग्राम-चौरा बस्ती, थाना-पिण्ड्राजोरा एवं क्रेता ग्राम-चाकुलिया, थाना-पिण्ड्राजोरा, जिला-बोकारो के निवासी है। 3. विक्रेता जाति के बाउरी एवं क्रेता जाति के रजवार हैं जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते हैं। 4. प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् विक्रेता के पास 2.50 एकड़ भूमि शेष बचता है, एवं विक्रेता भूमिहीन नहीं होंगे। 5. बिक्री की जाने वाली भूमि विक्रेता को केवाला सं0-2971 दिनांक 08.05.2012 द्वारा प्राप्त है, जिसपर विक्रेता का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। 6. बिक्री की जाने वाली भूमि की जमाबंदी पंजी-II के थोका संख्या-1927 में विक्रेता के नाम से दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2012-13 तक निर्गत है। 7. बिक्री की जाने वाली भूमि का किस्म-वाईद, मोटा आईल है। 8. अंचल अधिकारी, चास द्वारा मौजा-काण्ड्रा, थाना नं0-51 के खाता सं0-158, प्लॉट नं0-4837, 4841, 4839, रकवा 0.09 ½ एकड़ भूमि बिक्री की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।	

अनुसूची 14-फारम संख्या-560

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर व. कार्रवाई के बाद सेव टिप्पणी तारीख
	कार्यालय अंचल अधिकारी, चास द्वारा निर्गत विक्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं0-2204 दिनांक 06.04.2015 तथा अनुमण्डल कार्यालय, चास द्वारा क्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं0-817 दिनांक 05.11.2009 की छायाप्रति अभिलेख में संलग्न है। अतः अंचल अधिकारी, चास के उपरोक्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)(b) के तहत विक्रेता श्रीमती आरती देवी पति-गोपाल वाउरी, जाति-वाउरी, ग्राम-चौरा वस्ती, थाना-पिण्ड्राजोरा, जिला-बोकारो को मौजा-काण्ड्रा, थाना नं0-51 के खाता सं0-158, प्लॉट नं0-4837, 4841, 4839, रकवा 0.09 ½ एकड़ भूमि को विक्रेता दस्तावेज में प्लॉट का रकवा अंकित करें तदनुसार क्रेता श्री विनोद रजवार, पिता-श्रीधर रजवार, जाति-रजवार, ग्राम-चाकुलिया, थाना-पिण्ड्राजोरा, जिला-बोकारो को बिक्री करने की <u>अनुमति</u> दी जाती है। लेखापित एवं संशोधित  भूमि सुधार उपसमाहर्ता चास।  भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास।	२८/११/१५ ११/१५/१५